

सूचना संख्या-०३

(25)

इंटरमीडिएट कला/विज्ञान एवं स्नातक कला/विज्ञान सत्र-2014-15 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि छात्रवृत्ति की राशि स्वीकृति होकर जिला कल्याण विभाग, आरा से महाविद्यालय को प्राप्त हुआ है। छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि भुगतान करने के लिए बार-बार सूचना प्रसारित महाविद्यालय में की जा रही है। फिर कुछ छात्र-छात्राएँ अपनी छात्रवृत्ति की राशि लेने नहीं आ रहे हैं। जिसके चलते उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला कल्याण कार्यालय, आरा नहीं भेजा जा रहा है। छात्र-छात्राओं द्वारा अगर 10 दिनों के अंदर अपनी छात्रवृत्ति की राशि लेने हेतु आवेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत नहीं करने पर शेष बची हुई छात्रवृत्ति की राशि को जिला कल्याण कार्यालय, आरा को बजट सत्र के बाद महाविद्यालय के चेक द्वारा लौटा दी जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेवार नहीं होगा।

नोट :- छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त करने हेतु आवश्यक कागजात जमा करना होगा।

1. आवेदन पत्र।
2. पिता का आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
3. नामांकन रसीद की छायाप्रति।
4. उत्तीर्ण कक्षा का अंक पत्र की छायाप्रति।
5. परिचय पत्र की छायाप्रति।
6. शपथ पत्र कि, मैं किसी अन्य संस्थान से कोई दूसरा छात्रवृत्ति का लाभ नहीं लेता/लेती हूँ।

3/2/17
प्रधानाचार्य

जगजीवन कॉलेज, आरा।

332
22/17